रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220082
CG-DL-E-22062020-220082

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1742] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
No. 1742] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1958(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3461 (अ), तारीख 23 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 सितम्बर, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य 33º36'30" से 33º42'30"उ और 75º25'30" से 75º31'15"पू के मध्य और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में श्रीनगर शहर के दक्षिणी भाग पर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । अभयारण्य का क्षेत्रफल 48.28 वर्ग किलोमीटर है;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके समीपवर्ती क्षेत्र महत्वपूर्व जीवजन्तु प्रजातियों की वितरण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनमें कस्तूरी मृग (मोस्चस मोस्चीफेरस), हिमालयी भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस), एशियाई काला भालू (उर्सस थिबेटनस) और सामान्य तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस) आदि शामिल हैं। अभयारण्य कश्मीर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल डाक्सुम ग्राम के बैकड्राप में स्थित है। क्षेत्र में सतत पर्यटन कार्यनीति बनाये रखने के लिए यह जरुरी है कि वनों और

इसके आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अधिसूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य के एक भाग में इस समय विभाग का भेड़ प्रजनन फार्म है। अभयारण्य के अंतर्गत दाईं ओर ऐसे फार्म विद्यमान हैं जिनसे वनस्पतियों और जीवजन्तुओं को सीधे खतरा है। भेड़ फार्म द्वारा गर्मियों में चराई भूमि के रुप में वन क्षेत्र के बड़े भाग का उपयोग किया जाता है, जिससे जंगली शाकाहारियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। इसके अतिरिक्त पालतू भेड़ों से जंगली जानवरों को हमेशा बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने से इस भेड़ प्रजनन फार्म को इसके वर्तमान स्थल से अन्यत्र करना होगा;

और, ऊंचाई, आकार और मिट्टी में भिन्नता के कारण, मार्ग में वनस्पतियों की विविधता देखी गई है। अभयारण्य में विद्यमान वन प्रकारों की चार भिन्न विविधताएं हैं। इन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) तटवर्ती वनस्पति:- इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रुप से डकसुम के पास राजपरियन नाले के सहायक नालों के किनारे खातान पथरी तक सीमित है। मुख्य रुप से कुछ बड़े पत्ते वाले जेनेरा जैसे *एस्क्युलस इंडिका, जुग्लन्स रेगिया, रुबिनिया, मॉरस, क्वेरकस इन्काना, रिसस सक्सेडेनिया, केल्टिस कैवाकासिका, प्रूनस पर्सिका, उल्मस वालिचियाना, कोरेक्लस कोलुर्ना, पडस कॉर्नुटा* आदि हैं। भूमि पर झाड़ियों की अधिकता है जिनमें क्षेत्र में विद्यमान *पैरोटियाप्सिस जैक्वामोंटियाना, वूबरनम* के साथ रोज़ा प्रजातियां, *बर्बरीस प्रजाति, रुबस, एस्कुलस इंडिकस, लोनिकेरा* और *इंडिगोफेरा प्रजातियां, डेमोडियम, जैस्मीन* और *इसोडोन* शामिल हैं। (ख) शंकुधारी वन:- यह सदाबहार कैल वन (*पिनस ग्रैफ़िथी*) का है, जिसमें स्प्रूस (पिका स्मिथियाना) है, अन्य चौडी पत्तीदार प्रजातियों के साथ *एस्क्युलस इंडिका, क्वेरकस इंकाना* और फर *(एबिस पिंड्रो)* समुदाय हैं, जो अभयारण्य की खड़ी ढलानों तक सीमित हैं। ऊंचाई पर, स्प्रूस (*पिका स्मिथियाना*), *पिनस वलिचियाना*, हेटरनथा झाड़ियों के साथ पाया जाता है। कुछ जगहों पर बिर्च (*बेतुला यूटिलिस*) की चौड़ी पत्ती प्रजातियाँ कैली (*पीनस ग्रिफीथि*) और स्प्रूस के साथ काफी पाई जाती हैं, इसके अलावा सोबोरिआ टोमेंटोसा, रोज़ा प्रजाति, वाइबरम प्रजातियों के साथ पाई जाती है। (ग) एल्पाइन चरागाह और झाड़ियां:- यहाँ ज्यादातर बिर्च (*बेतुला यूटिलिस*), वन-मार्ग की अज्ञात घासें, कुछ स्थानों में रोडोडेंड्रोन, कॉम्पैनुलैटम, रोजा और रुबस प्रजाति प्रजातियों के साथ स्प्रूस (*पिका स्मिथियाना*) और कुछ स्थानों पर जुनिपरस, इंडिगोफेरा, प्रिमुला, एनेमोन, मायोसोटिस हैं। (घ) रॉक फ़ेस: - इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति अधिकतर पहाड़ी की चोटियों और खड्डो तक सीमित होती हैं जिन्हें 'नरस' कहा जाता है और मोटी घास, जुनिपेरस प्रजातियां और रोडोडेंड्रन प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है;

और, पश्चिमी हिमालय औषधीय और सुगंधित पौधों का एक भंडार-गृह है जिसका उपयोग औषधीय और इत्र उद्योगों में किया जाता है। राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य में अति औषधीय महत्व की असंख्य पौधों की प्रजातियाँ है। इस क्षेत्र में जंगली उगने वाले कुछ औषधीय पौधों में *एकोनिटम हेट्रोफिलम, अर्नबिया बेंटमाइ, आर्टेमिसिया एबसिंथियम, बर्बेरिस लायसियम, बर्जेनिया लिंगुलाटा, धतूरा स्ट्रैमोनियम, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, लवटेरा कैशमेरियाना, सोसुरिया कोस्टस* और *टैक्सस वालिचाइना,* आदि शामिल हैं।

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य (डकसम) कई सामान्य, दुर्लभ और लुप्तप्राय स्तनधारी प्रजातियों का पर्यावास है जिसमें कस्तूरी मृग (*मोस्चस मोस्चीफेरस*), सीरो (*कैपरिकोरनिस सुमत्रेनिस*), हिमालयन मर्मोट (*मर्मोट हिमालियाना*), हिमालयन माउस-हेर (*ओकोटोना सेइली*), कश्मीर उड़न गिलहरी (*इग्लौकोमिस फ़ाइब्रायटस*), हिमालयन यलो थ्रोटेड मार्टीन (*मार्टेस फ्लाविगुला*), ब्राउन भालू (*उर्सस इसाबेलिनस*), एशियाटिक ब्लैक बियर (*उरसस थिबेटानस*), लाल लोमड़ी (*वुलपस मोंटाना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), छोटे भारतीय नेवला (*हर्पेस्टेस एरोप्रैक्टैटस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), सामान्य ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*), रीसस मकाक (*मैकाका मुलाटा*), हिम तेंदुआ (*पेंथेरा अनसिया*), शामिल हैं। अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ ब्लैक इअरड काइट (*मिल्वस माइग्रेंस*), हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध (*जिप्स हिलायन्सिस*), व्हाइट बैक्ड गिद्ध (*स्यूडोपस बेंगालेंसिस*), मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजैनस*), हिमालयन स्नो कॉक (*टेट्राओगैलस हिमालैन्सिस*), चुकर (*एलेक्टोरिस चुकर*), कोकलास (*पेरसिया मैकरोलोफा*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलंबा लिविया*), हिमालयन रूफस कछुआ कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस*), रिंग डव (*एस. डेकोटा*), लाल कछुआ कबूतर (*एस. ट्रेंक्युबैरिका*), एशियाई कोयल (*क्यूक्यूलस सेतुराटस*), अल्पाइन स्विफ्ट (*तचीमराप्टिस मेल्बा*), कश्मीर रोलर

(*क्रूसियस गैसरुल्लस सेमेनवी)*, कॉमन हॉपे (*उपूपा एपोप्स*), कश्मीरी कठफोड़वा (*ट्रायबेटस हिमालयनासिंस*), कॉमन स्वालोव (*हिरुंदो रुस्टिका*), रुफ़स बैक्ड श्राइक (*लैनिअस स्कैच*), यूरेशियन गोल्डन ओरियोल (*ओरियोलस ओरियोलस*), भारतीय मैना (*एक्रीडोथेरेस ट्रिस्टिस*), लार्ज बिल्ड क्रो (*कोरवस मैक्रोरिनचोस*), लार्ज स्पॉटेड नटक्रैकर (*तुसिफ्रेग्मुही पंक्टाटा*), व्हाइट चेक्ड बुलबुल (*पाइकोनोटस ल्यूकोजेन्स*), स्ट्रेक्ड लॉफिंग थ्रश (*ट्रोक्लेप्टेरॉन लिनेनटम*), कश्मीर वरेन (*ट्रोग्लोडाइटस नेगलेक्टस*), ग्रे टीट (*पारस मेजर*), कश्मीर हाउस गौरैया (*पासेर डोमेस्टिकस*), आदि हैं;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां भूरा भालू (संकटापन्न), कश्मीर कस्तूरी मृग (संकटापन्न), सामान्य तेंदुआ (वलनेरेवल), हिम तेंदुआ (संकटापन्न), बिअरडेड गिद्ध (निकटवर्ती खतरा), कश्मीर फ्लाईकैचर (वलनेरेवल), आदि हैं;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनंतनाग जिले के राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 22.60 वर्ग किलोमीटर है। "प्रवेश के लिए दक्षिणी भाग की ओर प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार इस कारण से था कि विद्यमान ब्रिन्गी नाला के आकार में भौगोलिक सीमा है। जम्मू प्रांत में चेनाब नदी जलग्रहण क्षेत्र जलनिकासी के अंतर्गत उक्त भाग पारिस्थितिकी संवेदी जोन उपबंधित मानचित्र में ए1 से ए4 तक के अंतर्गत के क्षेत्र के कारण विस्तार शून्य रखा गया है, इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक (समुद्र के स्तर से ऊपर) की ऊंचाई पर प्राकृतिक चट्टानों से प्राकृतिक रूप से विभाजित है, जबकि अभयारण्य के चारों ओर 30 मीटर से 1000 मीटर तक है, अभयारण्य के अतिरिक्त गलियारे को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उक्त क्षेत्र मुख्य रूप से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इससे क्षेत्र में वन्यजीवों और समृद्ध जैव विविधता को संचलन की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी "।

(2) राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध- IIघ,** और **उपाबंध- IIङ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के

परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा-लागू केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटलों या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (स एमई ए) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा-संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथालागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवरों का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचनाएं।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों, दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
29.	ट्रेंचिंग ग्राउंड।	नए ट्रेंचिंग ग्राउंड की स्थापना प्रनिषिद्ध है। पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
30.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

	प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	
34.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारिगर भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
(i)	कलेक्टर, अनंतनाग	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iii)	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	प्रभागीय वन अधिकारी सह वन्यजीव वार्डन, दक्षिण कश्मीर अनंतनाग	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, दक्षिण कश्मीर अनंतनाग	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध-IV** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/03/2019-ईएसजेड]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी सीमाओं अभयारण्य का	बिन्दु	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से संरक्षित क्षेत्र (एम) की मीटर में दूरी	भू-निर्देशांक		टिप्पणियां
				अक्षांश	देशांतर	
1	उत्तर पूर्व	ए2	1000	उ 33º40'54.182"	पू 75º30'35.514"	अल्पाइन चारागाह, शिल्सर पास
2	पूर्व	ए 3	30	उ 33º39'15.486"	पू 75º30'57.485"	पीर पंजाल पास वाट नार, रास्ता बार
3	दक्षिण पूर्व	ए 4	30	उ 33º37'45.695"	पू 75º30'0.406"	पीरपंजाल वाट, वोगबलसर
4	दक्षिण	ए 6	1000	उ 33º36'35.538"	पू 75º25'5.481"	अल्पाइन चरागाह, राजपर्यिन नार

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. पी सीमाओं अभयारण्य का	बिन्दु	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से संरक्षित क्षेत्र (एम) की मीटर में दूरी	भू-निर्देशांक		टिप्पणियां
				अक्षांश	देशांतर	
5	पश्चिम	ए 7	1000	उ 33º38'54.901"	पू 75º25'24.056"	वोपालहक मार्ग
6	उत्तर पश्चिम	ए 8	1000	उ 33º41'6.639"	पू 75º27'42.689"	हरदालौ
7	उत्तर	ए 9	1000	उ 33º42'54.937"	पू 75º29'17.450"	अल्पाइन चारागाह, गांधीमाण्डु
8	दक्षिण पश्चिम	ए 10		उ 33º36'50.538"	पू 75º26'6.111"	

उपाबंध - IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

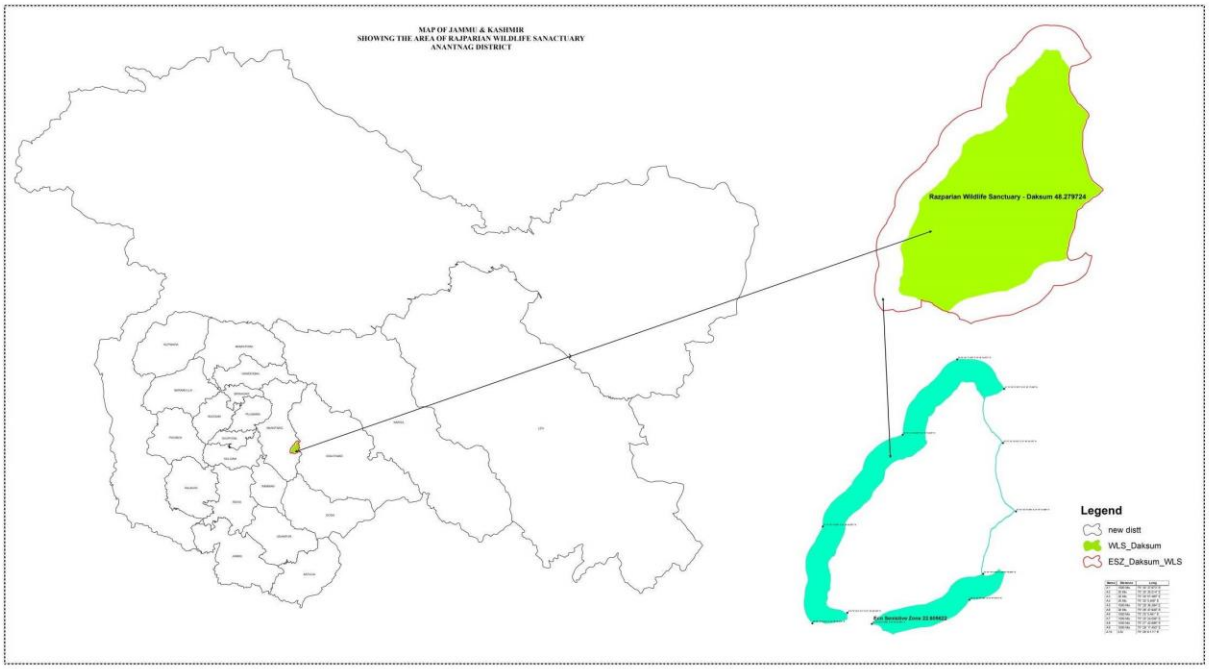

उपाबंध–II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

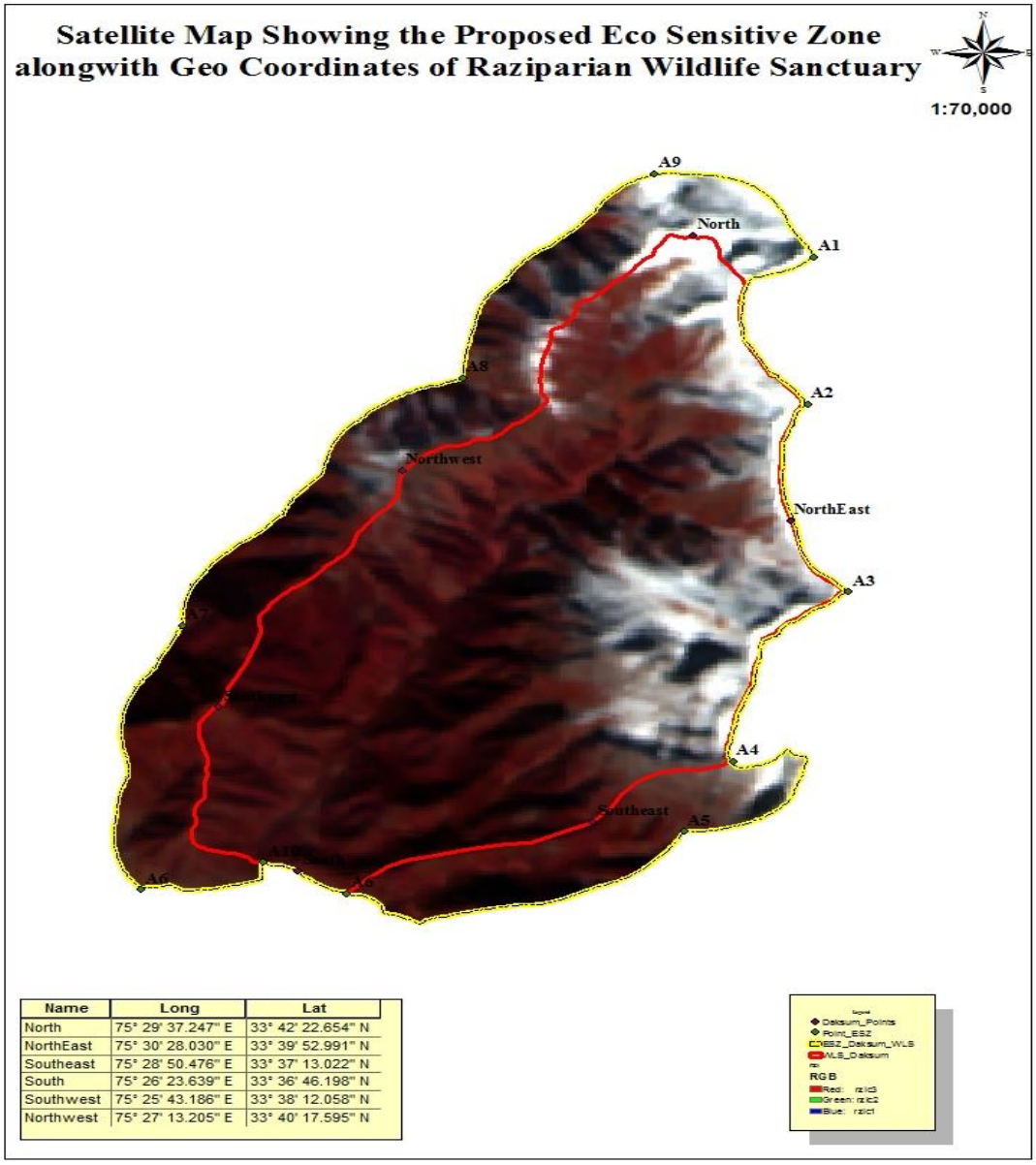

उपाबंध – IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

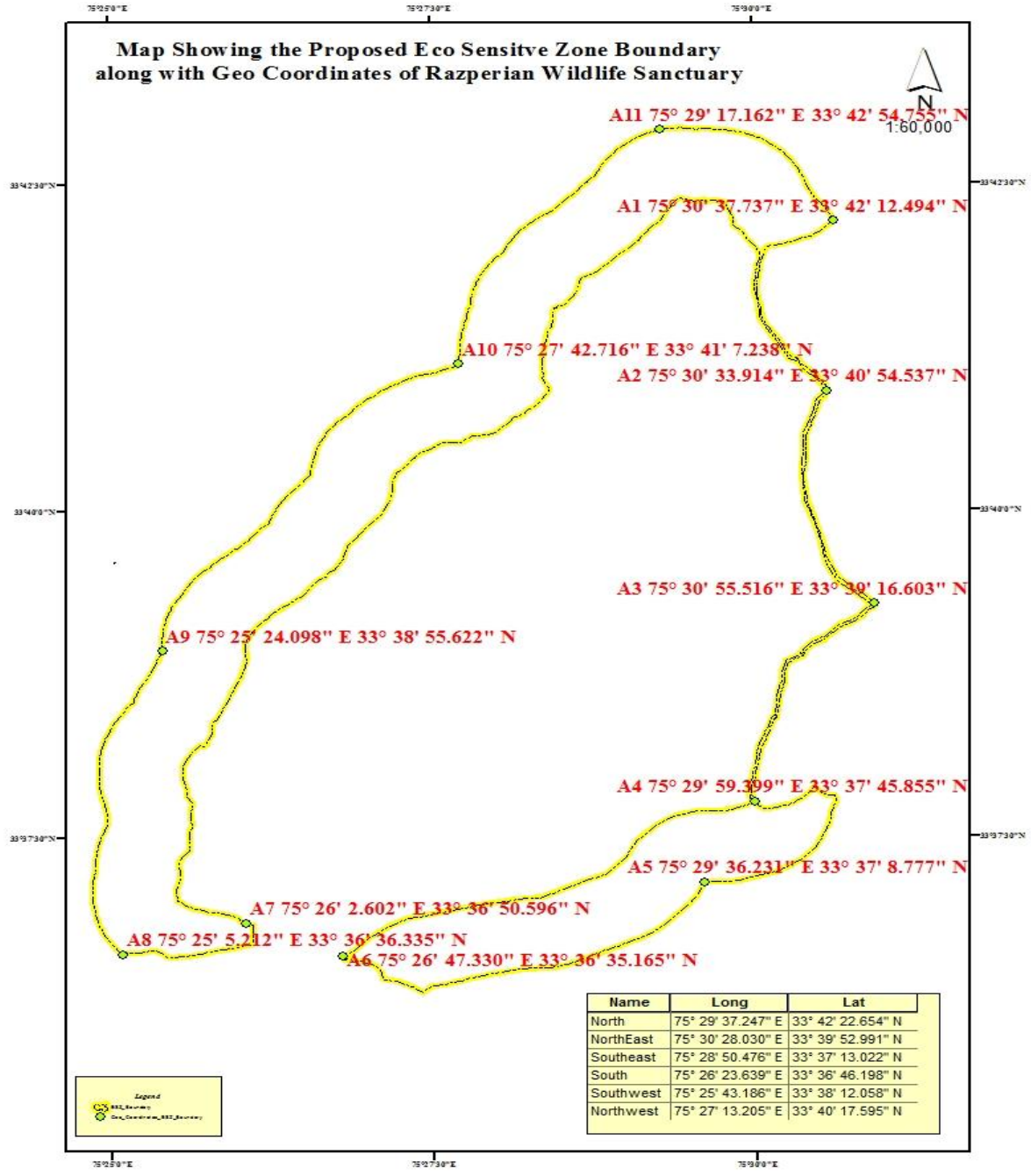

उपाबंध – IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र

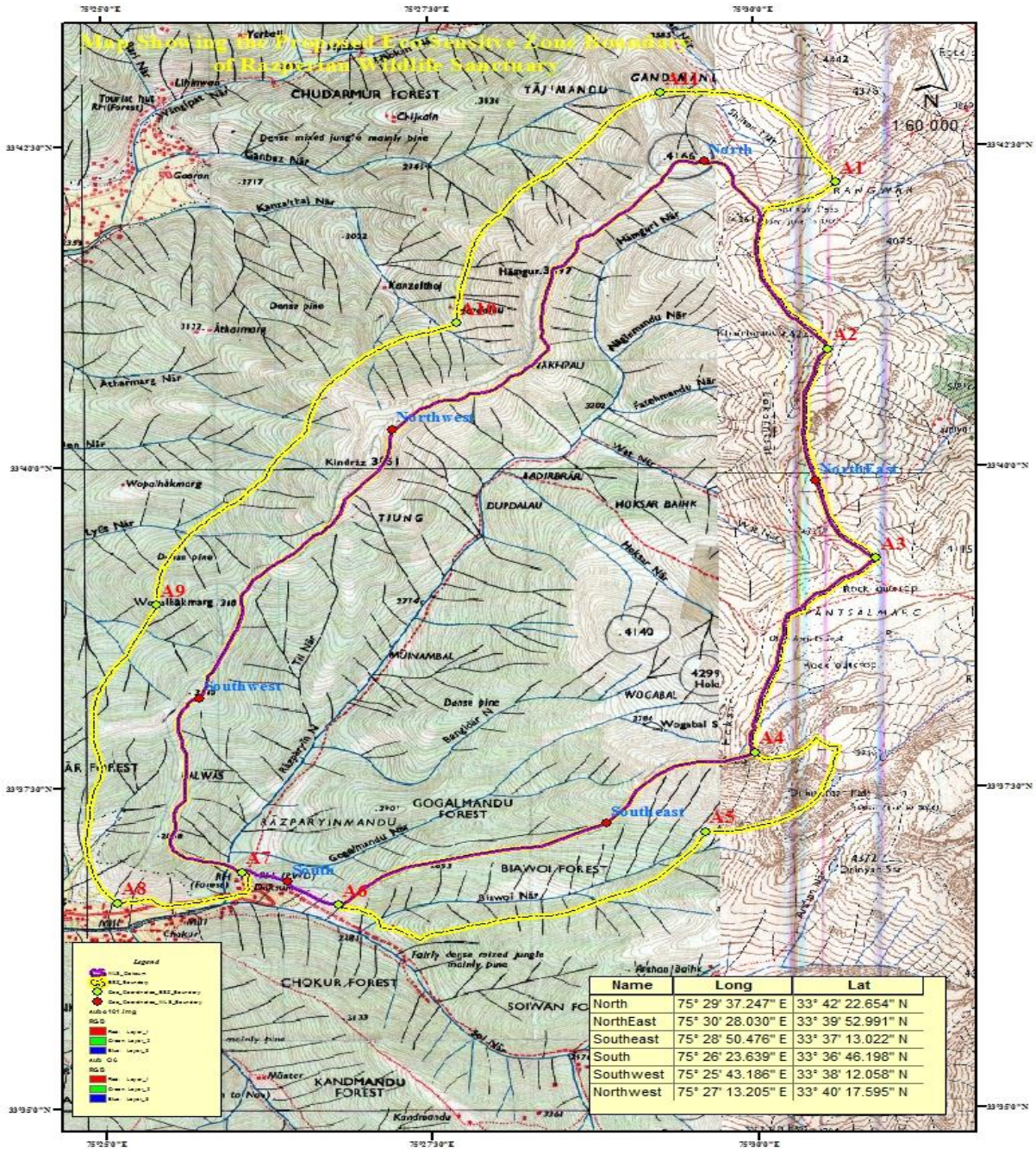

उपाबंध – IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

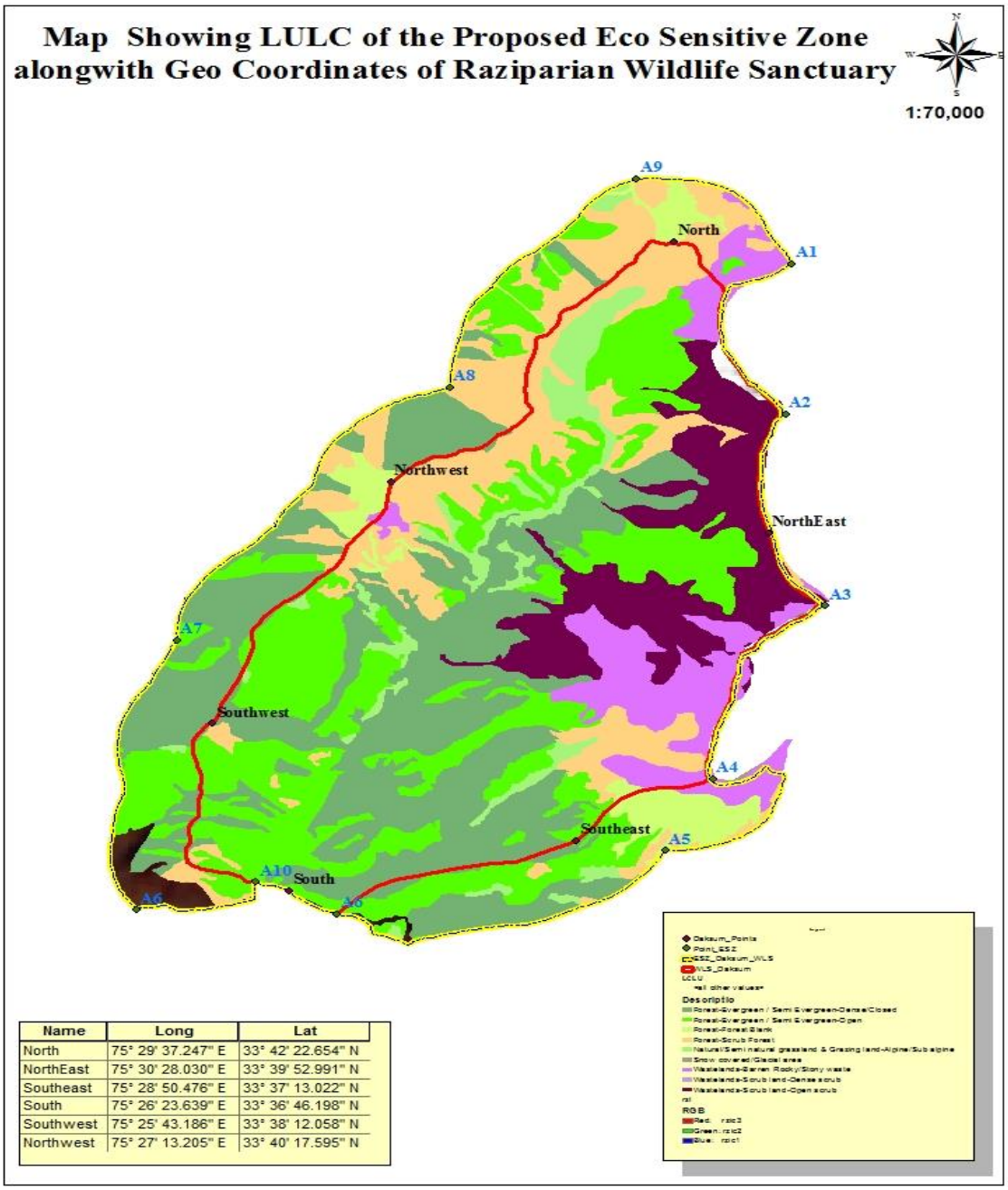

Name	Long	Lat
North	75° 29' 37.247" E	33° 42' 22.654" N
NorthEast	75° 30' 28.030" E	33° 39' 52.991" N
Southeast	75° 28' 50.476" E	33° 37' 13.022" N
South	75° 26' 23.639" E	33° 36' 46.198" N
Southwest	75° 25' 43.186" E	33° 38' 12.058" N
Northwest	75° 27' 13.205" E	33° 40' 17.595" N

उपाबंध-III

सारणी क: राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी. अभयारण्य की सीमाएँ	भू-निर्देशांक	
		अक्षांश	देशांतर
1.	उत्तर	उ33º42'22.654"	पू 75º29'37.247"
2.	पूर्व	उ33º39'15.486"	पू 75º30'57.485"
3.	दक्षिण	उ33º36'34.283"	पू 75º26'47.949"
4.	पश्चिम	उ33º38'54.901"	पू 75º25'24.056"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी. अभयारण्य की सीमाएँ	बिंदु	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	अक्षांश
1.	उत्तर पूर्व	ए2	उ33º40'54.182"	पू75º30'35.514"
2.	पूर्व	ए3	उ33º39'15.486"	पू75º30'57.485"
3.	दक्षिण पूर्व	ए4	उ33º37'45.695"	पू75º30'0.406"
4.	दक्षिण	ए6	उ33º36'35.538"	पू75º25'5.481"
5.	पश्चिम	ए7	उ33º38'54.901"	पू75º25'24.056"
6.	उत्तर पश्चिम	ए8	उ33º41'6.639"	पू75º27'42.689"
7.	उत्तर	ए9	उ33º42'54.937"	पू75º29'17.450"
8.	दक्षिण पश्चिम	ए10	उ33º36'50.538"	पू75º26'6.111"

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1958(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3461 (E), dated the 23rd September, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 25th September, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary lies between 33º36'30" to 33º42'30"N and 75º25'30" to 75º31'15" E and is located about 90 kilometres away on the southern side of Srinagar city, in Anantnag District of the Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu and Kashmir . The Sanctuary covers an area of 48.28 square kilometres;

AND WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary and its adjoining areas fall in the distribution range of important faunal species including musk deer (*Moschus moschiferus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos isabellinus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*) and common leopard (*Panthera pardus*), etc. The Sanctuary lies in the backdrop of the Daksum village, an important tourist destination of Kashmir. In order to maintain the sustainable tourism strategy in the area, it is imperative that the forests and adjoining areas are notified as an Eco-sensitive Zone. Further, a portion of the Sanctuary is currently occupied by a Sheep Breeding Farm owned by the Department of Sheep and Animal Husbandry. The presence of such farm right inside the Sanctuary poses a direct threat to the flora and fauna therein. The sheep farm uses a considerable chunk of the forest area as summer grazing ground, thereby posing a direct competition to the wild herbivores. Further, the threat of the communication of diseases from domestic sheep to wild fauna always looms large. With the declaration of the area as an Eco-sensitive Zone, this Sheep Breeding Farm has to be relocated from the present site;

AND WHEREAS, due to the variation in altitude, aspect and soil, diversity of vegetation is discernible in the tract. Four different categories of forest types exist in the Sanctuary. They may be classified as (a) Riverian Vegetation - this type of vegetation is mainly confined to the side of tributaries of the Rajparian Nallah near the Daksum up to Khatan Pathri. Some principally broad leaved genera such as *Aesculus indica, Juglans regia, Rubinia, morus, Quercus incana, Rhus succedanea, Celtis cavacasica, Prunus persica, Ulmus wallichiana, Corylus colurna, Padus cornuta*, etc. The shrubs dominating the ground cover include *Parrotiopsis jacquemontiana*, Rosa species interspersed with Viburnum, Berberies species, *Rubus, Aesculus indicus, Lonicera* and *Indigofera species, Demodeum, Jasmine* and Isodon too are existing in the area. (b) Coniferous Forests - it is an evergreen association of Kail (*Pinus graffithi*), a spruce (*Picea smithiana*) with other broad leaved species *Aesculus indica*, *Quercus incana* and Fir (*Abies pindrow*) communities confined to the steeply slopes of the Sanctuary. At heights, spruce (*Picea smithiana*) is found in association with *Pinus wallichiana*, Heterantha shrubs. In some place broad leaved species of Birch (*Betula utilis*) fairly mix up with Kail (*Pinus griffithi*) and spruce, besides *Soboriea tomentosa*, Rosa species, Vibarumum species are found in association with them. (c) Alpine Pasture and Scrubs - mostly dominated by Birch (*Betula utilis*), unidentified grasses of glades, dotted at some places by spruce (*Piscea simithiana*) with Rhododendron, Companulatum, Rosa and Rubus species, Juniperus, Indigofera, Primula, Anemone, Myosotis intercept at several places. (d) Rock Faces - the vegetation found in this area is confined mostly to the hilltops and gulleys called 'Nars' and is represented by coarse grasses, Juniperus species and Rhododendron species;

AND WHEREAS, the Western Himalayas are a store-house of medicinal and aromatic plants which are used in the pharmaceautical and perfume industries. The Rajparian Wildlife Sanctuary is blessed with numerous plant species of great medicinal value. Some medical plants growing wild in the area include *Aconitum heterophyllum, Arnebia benthamii, Artemisia absinthium, Berberis lycium, Datura stramonium, Dioscorea deltoidea, Lavatera cashmeriana, Saussurea costus* and *Taxus wallichina*, etc;

AND WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary (Daksum) is the home of many common, rare and endangered mammalian species including musk deer (*Moschus moschieferus),* serow (*Capricornis sumatraenis*), Himalayan marmot (*Marmot himaliyana*), Himalayan mouse-hare (*Ochotona seylii*), Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus*), Himalayan yellow throated martin (*Martes flavigula*), brown bear (*Ursus isabellinus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), red fox (*Vulpus montana*), jackal (*Canis aureus*), small Indian mongoose (*Herpestes auropunctatus*), leopard (*Panthera pardus*), common gray langur (*Semnopithecus ajax*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), snow leopard (*Panthera uncia*), etc. The major bird species found in the Sanctuary are black eared

kite (*Milvus migrans*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayansis*), white backed vulture (*Pseudopus bengalensis*), monal (*Lophophorus impejanus*), Himalayan snow cock (*Tetraogallus Himalayansis*), chucker (*Alectoris chukar*), koklas (*Persia macrolopha*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Himalayan rufus turtle dove (*Streptopelia orientalis*), ring dove (*S. decaota*), red turtle dove (*S. tranqubarica*), Asiatic cuckoo (*Cuculus saturatus*), alpine swift (*Tachimarptis melba*), Kashmir roller (*Crocias gasrullus semenwi)*, common hoopoe (*Upupa epops*), Kashmiri woodpecker (*Trybatus himalaynasis*), common swallow (*Hirundo rustica*), rufus backed shrike (*Lanius schach*), Eurasian golden oriole (*Oriolus oriolus*), Indian myna (*Acridotheres tristis*), large billed crow (*Corvus macrorhynchos*), large spotted nutcracker (*Nucifragemuhi punctata*), white checked bulbul (*Pycnonotus leucogenys*), streaked laughing thrush (*Trochalopteron lineatum*), Kashmir wren (*Troglodytes neglectus*), grey tit (*Parus major*), Kashmir house sparrow (*Passer domesticus*), etc;

AND WHEREAS, important rare, endangered and threatened species found in the Rajparian Wildlife Sanctuary are brown bear (Endangered), Kashmir musk deer (Endangered), common leopard (Vulnerable), snow leopard (Endangered), bearded vulture (Near Threatened), Kashmir flycatcher (Vulnerable), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Rajparian Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary, in Anantnag district in the Union territory of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 22.60 square kilometres. Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified by the Union territory Government as "The Eco-sensitive zone proposed has been kept as zero falling on the Southern side at the entry for the reason that a geological boundary in the shape of Bringi Nallah already exists. Also the area falling from A1 to A4 in the annexed map has also been kept as zero extent Eco-sensitive Zone as the said portion falls in river Chenab watershed drainage in the Jammu Province, besides is naturally divided by natural cliffs at an altitudinal of more than 4000 meters (above sea levels) while as all around the Sanctuary existence of 30 meters to 1000 meters has been proposed as additional corridor of the sanctuary as Eco-sensitive Zone. The said area is mainly surrounded by the Forest area. This shall provide more freedom of movement to the wildlife and flourishing biodiversity in the area".

   (2) The extent and boundary description of Rajparian Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Rajparian Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

   (5) No villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of Union territory.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forests;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Jammu and Kashmir Union territory Pollution Control Board,
(x) Muncipal;
(xi) Panchayati Raj; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union territory Government.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by Union territory Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E -Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the

		boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated as per the applicable laws.
30.	Migratory graziers.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Anantnag	Chairman, ex officio
(ii)	Regional Officer, Jammu and Kashmir Union territory Pollution Control Board	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Union territory Government	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the Union territory Government	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the Union territory	Member;
(vi)	Divisional Forest Officer cum Wildlife Warden, South Kashmir Anantnag	Member;
(vii)	Wildlife Warden, South Kashmir Anantnag	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the Union territory Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the Union territory Government.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended at Annexure IV.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2019-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE

Sl. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Point	Distance in Meters of ESZ from Boundary of PA(M)	Geo-Coordinates		Remarks
				Latitude	Longitude	
1	North East	A2	1000	N33º40'54.182"	E75º30'35.514"	Alpine Pasture, Shilsar Pass
2	East	A3	30	N33º39'15.486"	E75º30'57.485"	Pirpanjal Pass, Wat Nar
3	South East	A4	30	N33º37'45.695"	E75º30'0.406"	PirPanjal Pass, WogabalSar
4	South	A6	1000	N33º36'35.538"	E75º25'5.481"	Alpine Pasture, Razparyin Nar
5	West	A7	1000	N33º38'54.901"	E75º25'24.056"	Wopalhakmarg
6	North West	A8	1000	N33º41'6.639"	E75º27'42.689"	Hardalou
7	North	A9	1000	N33º42'54.937"	E75º29'17.450"	Alpine Pasture, Gandimandu
8	South West	A10		N33º36'50.538"	E75º26'6.111"	

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

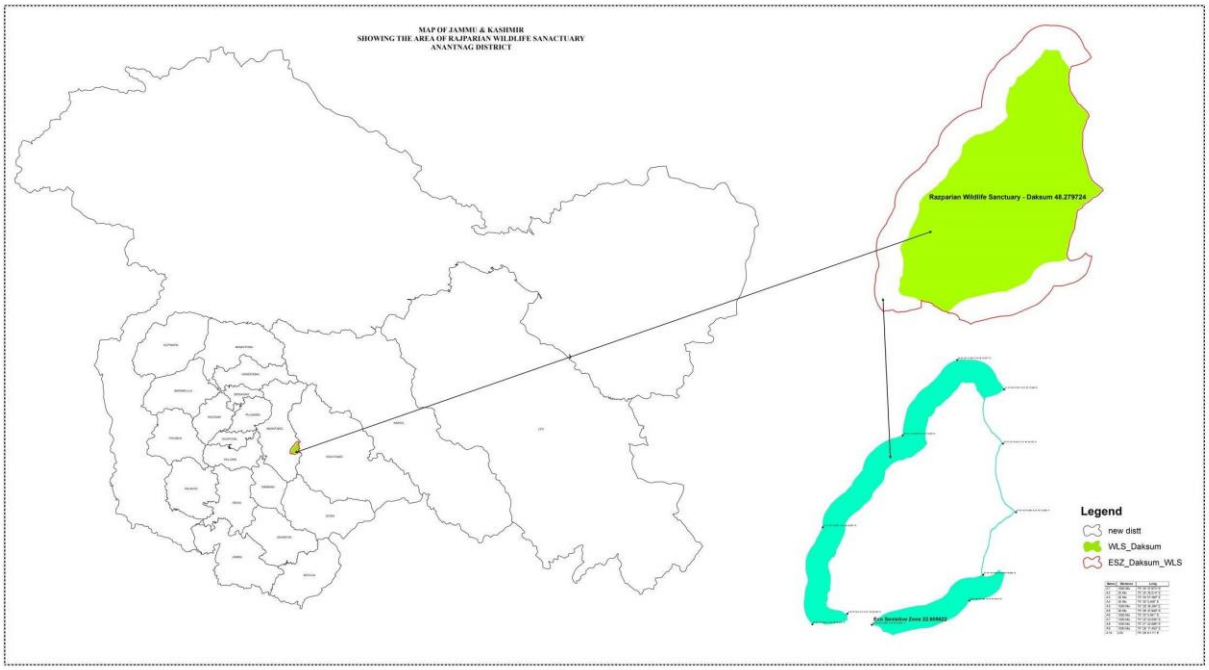

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

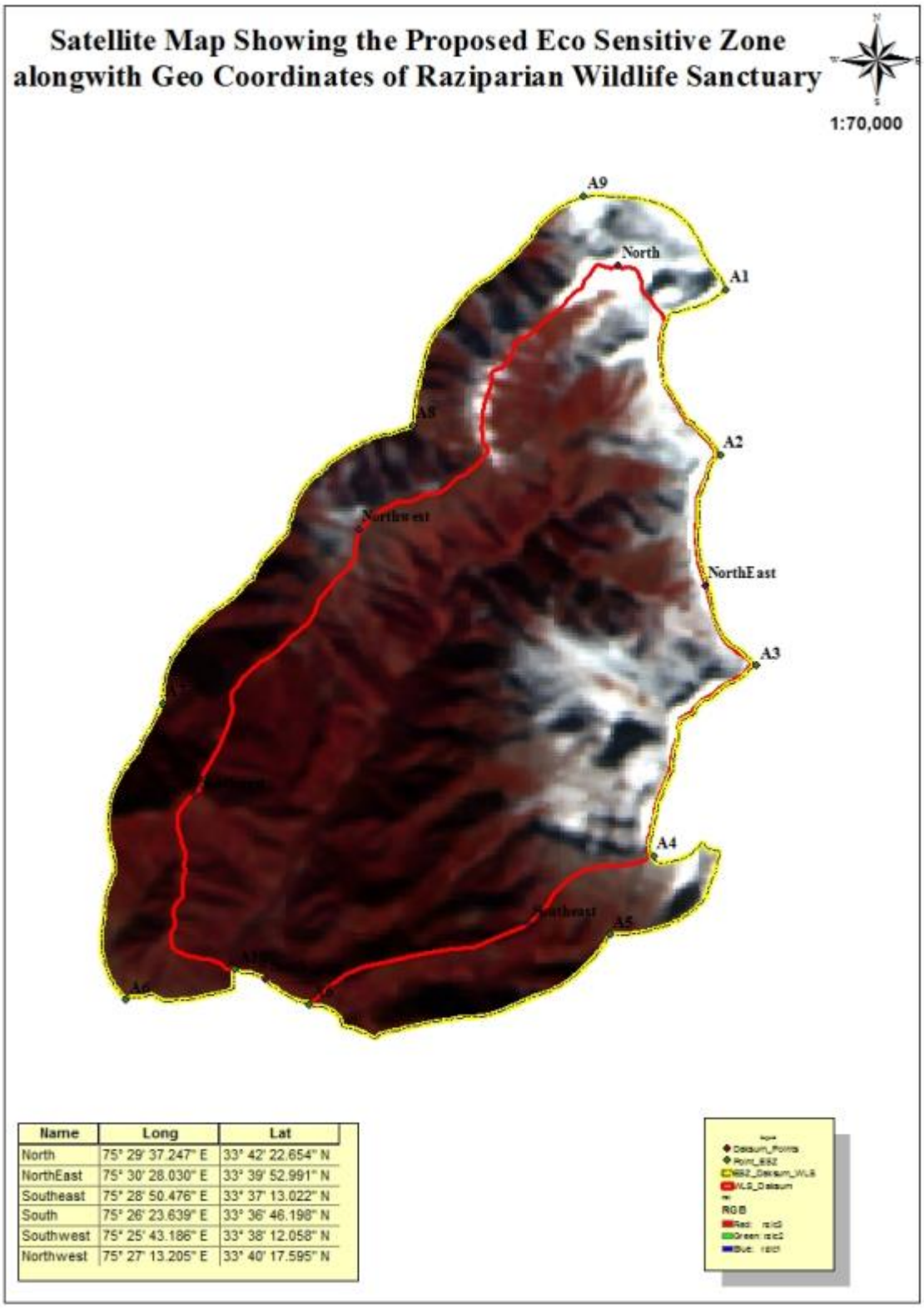

Name	Long	Lat
North	75° 29' 37.247" E	33° 42' 22.654" N
NorthEast	75° 30' 28.030" E	33° 39' 52.991" N
Southeast	75° 28' 50.476" E	33° 37' 13.022" N
South	75° 26' 23.639" E	33° 36' 46.198" N
Southwest	75° 25' 43.186" E	33° 38' 12.058" N
Northwest	75° 27' 13.205" E	33° 40' 17.595" N

ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

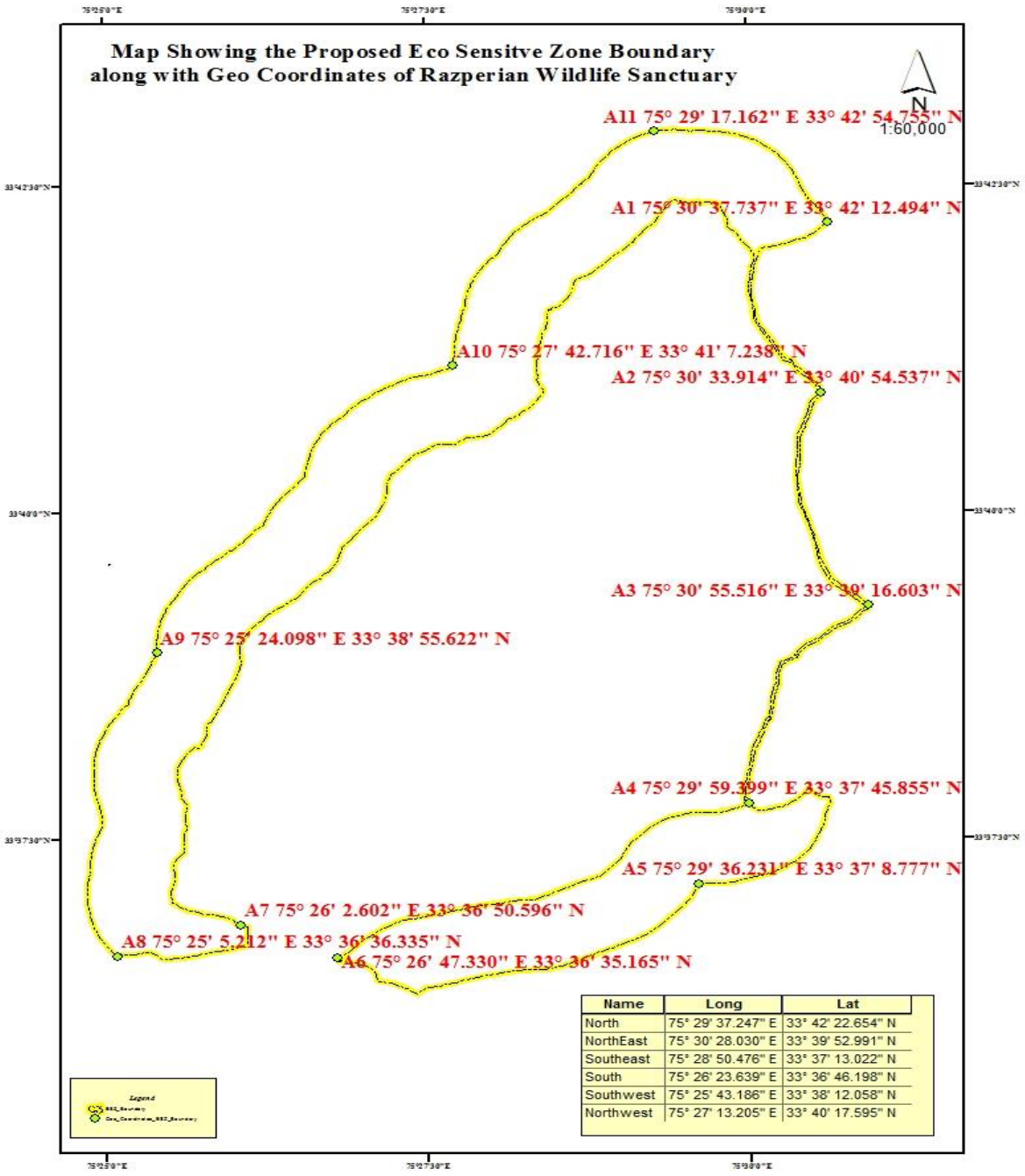

ANNEXURE- IID

MAP OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

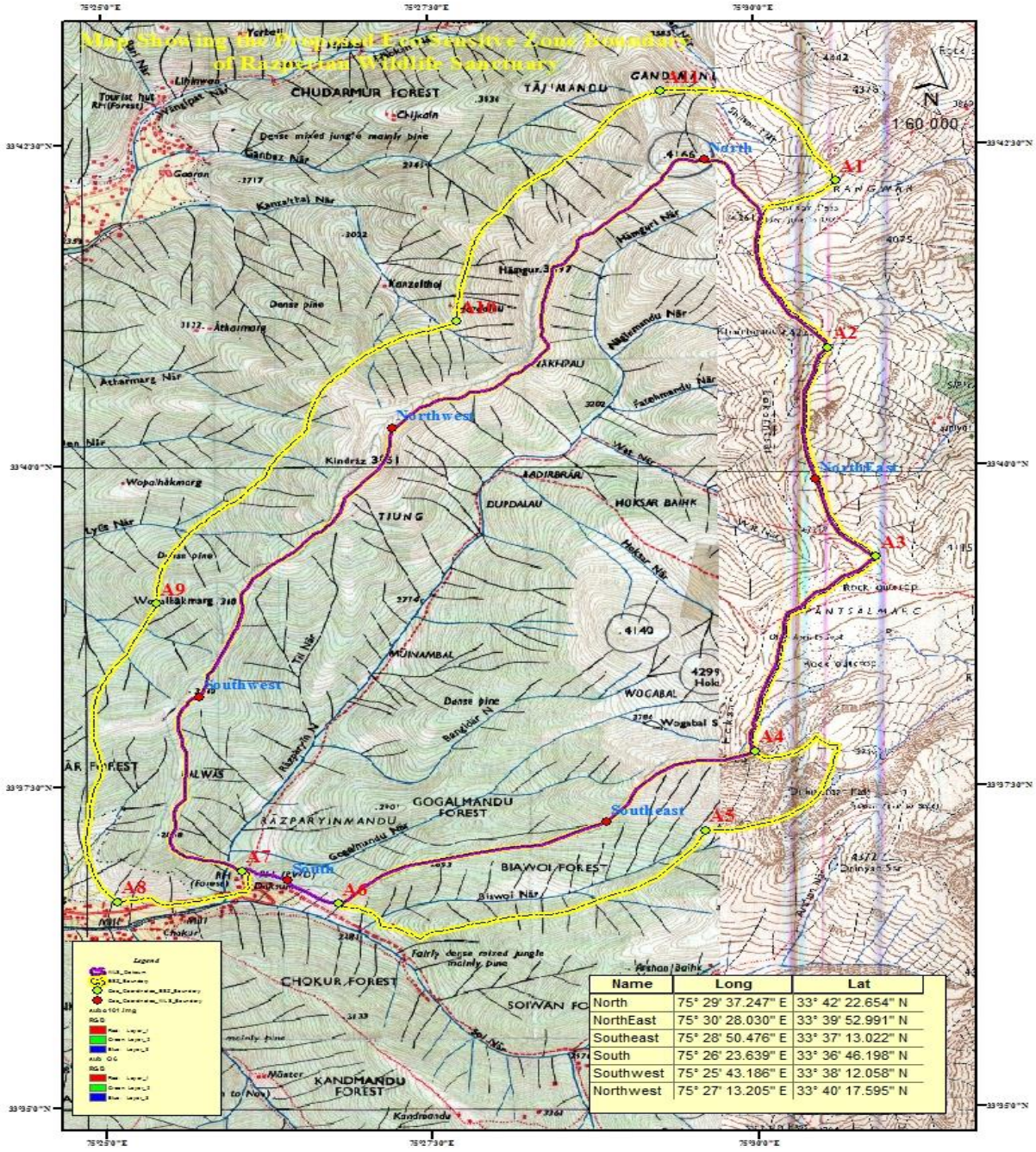

ANNEXURE- IIE

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

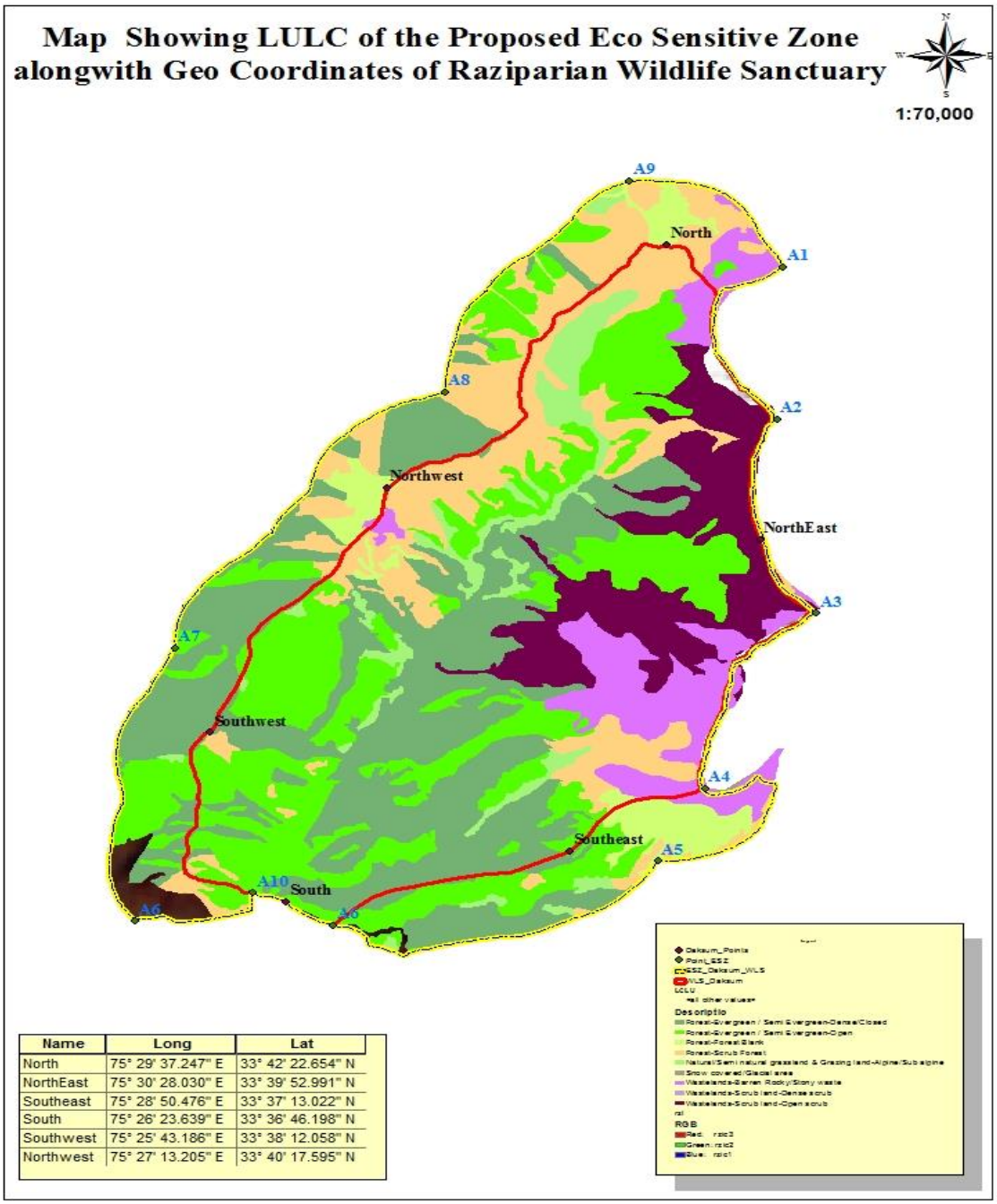

Name	Long	Lat
North	75° 29' 37.247" E	33° 42' 22.654" N
NorthEast	75° 30' 28.030" E	33° 39' 52.991" N
Southeast	75° 28' 50.476" E	33° 37' 13.022" N
South	75° 26' 23.639" E	33° 36' 46.198" N
Southwest	75° 25' 43.186" E	33° 38' 12.058" N
Northwest	75° 27' 13.205" E	33° 40' 17.595" N

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RAJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Geo-Coordinates	
		Latitude	Longitude
1.	North	N33º42'22.654"	E75º29'37.247"
2.	East	N33º39'15.486"	E75º30'57.485"
3.	South	N33º36'34.283"	E75º26'47.949"
4.	West	N33º38'54.901"	E75º25'24.056"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1.	North East	A2	N33º40'54.182"	E75º30'35.514"
2.	East	A3	N33º39'15.486"	E75º30'57.485"
3.	South East	A4	N33º37'45.695"	E75º30'0.406"
4.	South	A6	N33º36'35.538"	E75º25'5.481"
5.	West	A7	N33º38'54.901"	E75º25'24.056"
6.	North West	A8	N33º41'6.639"	E75º27'42.689"
7.	North	A9	N33º42'54.937"	E75º29'17.450"
8.	South West	A10	N33º36'50.538"	E75º26'6.111"

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.22 20:20:15 +05'30'